

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक:एफ.17(ई)ग्राविप/प्रशा.2/विका.यो./पंचा.शिविर/2016/3857 जयपुर,दिनांक: 23-9-2016

1. जिला कलक्टर, समस्त।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद – समस्त।


विषय: पंचायत शिविर कार्यक्रम के प्रारम्भ होने की तिथि में परिवर्तन बाबत।

महोदय,

विषयान्तर्गत लेख है कि इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक एफ.17(ई)ग्राविप/प्रशा.2/विका.यो./पंचा.शिविर/2016/3180 दिनांक 02.08.2016 के द्वारा पंचायत शिविर कार्यक्रम 2 अक्टूबर, 2016 से प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन अब यह निर्णय लिया गया है कि उक्त कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार करवाकर इस कार्यक्रम को 2 अक्टूबर के स्थान पर 14 अक्टूबर, 2016 से प्रारम्भ किया जायेगा। कृपया तदनुसार संशोधित कार्यक्रम जारी करावें।

अतः कार्यक्रम को प्रारम्भ करने की तिथि 14 अक्टूबर, 2016 निर्धारित की जाती है। आपसे अपेक्षा है कि उक्त कार्यक्रम का अपने जिले में अधिकाधिक प्रचार-प्रसार करावें ताकि आम जन इसका लाभ उठा सकें।


भवदीय,


(सुदर्शन सोठी)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं अवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
4. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात विभाग।
5. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
6. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, महिला एवं बाल विकास विभाग।
7. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, वन व पर्यावरण विभाग।
8. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, राजस्व विभाग।
9. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान।
10. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान।
11. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सा0 न्याय एवं अधिकारिता विभाग/खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/राजस्व विभाग, राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि कृपया शिविरों के आयोजन बाबत समुचित विभागीय आदेश जारी कराने का श्रम करावें।

12. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास, राजस्थान।
13. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान।
14. निजी सचिव, स्टेट मिशन निदेशक, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद।
15. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा योजना।
16. निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन।
17. निजी सचिव, आयुक्त, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग, जयपुर।
18. निजी सचिव, शासन सचिव, वन व पर्यावरण विभाग, राजस्थान।
19. जिला कलक्टर, समस्त।
20. अति० मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
21. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त।
22. सम्पादक, पंचायती राज मुख्यालय, जयपुर।
23. प्रोग्रामर, पंचायती राज विभाग, जयपुर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
24. रक्षित पत्रावली।


अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव